कार्यालय जिला परिषद, पलामू।

आम–सूचना

दिनांक 31.08.2017 को सम्पन्न जिला परिषद, पलामू के बैठक में लिए गए निर्णयानुसार जिला परिषद के द्वारा विभिन्न प्रखण्डो में जिला परिषद की भूमि पर पूर्व से निर्मित/आवंटित एंव नवनिर्मित/नवआवंटित सभी दुकानो/भवनो का लीज नवीकरण नए किराये के दर पर किया जाना है।

लीज नवीकरण हेतु निम्नलिखित प्रकिया के तहत सम्पूर्ण कार्यालय अर्हताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगाः–

1. लीज नवीकरण हेतु दिसम्बर 2017 के पूर्व तक का दुकान/भवन का सम्पूर्ण बकाया किराया की राशि दिनांक 21.11.2017 तक जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी जमानत की राशि से सामंजन करते हुए दुकान का आवंटन रद्द कर दुकान खाली करा दिया जायेगा।
2. लीज नवीकरण हेतु संबंधित दुकानदारो को मो0 50.00 रूपये का दो अदद (कुल 100.00 रूपये) नन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एकरारनामा हेतु उपलब्ध कराना होगा।
3. दुकान के नवीकरण का एकरारनामा जिला निबंधन कार्यालय, पलामू के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा। इस हेतु आवंटी को निर्धारित निबंधन शुल्क का भुगतान करना होगा।
4. दिनांक 22.11.2017 से 31.12.2017 तक एकरारनामा नवीकरण का कार्य किया जायेगा।
5. एकरारनामा की शर्ते एंव नया किराया का दर दिनांक 01.01.2018 से प्रभावी होगा।

ह0/--
उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, पलामू।

ज्ञापांक–1250 जि0प0/दिनांक 5-10-2017

प्रतिलिपि– निदेशक, सूचना एंव जनसर्म्पक विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस सूचना को स्थानीय लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के आगामी अंक में लगातार दो दिनो तक प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एंव जनसर्म्पक पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एंव पलामू जिले के स्थानीय लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के आगामी अंक में लगातार दो दिनो तक प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एंव विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एंव NIC पलामू के Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एंव प्रखण्ड कार्यालय के सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, पलामू।